



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032023-244423
CG-DL-E-16032023-244423

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172]
No. 172]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 15, 2023/फाल्गुन 24, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 15, 2023/PHALGUNA 24, 1944

भारतीय भेषजी परिषद्
(भेषजी अधिनियम 1948 के अंतर्गत गठित)

कार्यकारिणी आदेश

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2023

मि.सं.:17-1/2022-पीसीआई (नोटिफिकेशन)/18358-18593.—भेषजी अधिनियम 1948 की उपधारा 15 की आवश्यकतानुसार उपधारा 12 के अंतर्गत भारतीय भेषजी परिषद् ने केन्द्रीय परिषद् की निम्नलिखित गोष्ठी में जो प्रस्ताव पारित किये हैं घोषणा करती है कि सभी स्टैकहोल्डरस जैसे संस्थान, परीक्षा प्राधिकरण, साधारण जनता, विद्यार्थी इत्यादि की सूचना हेतु परिषद् की वेबसाइट पर डाले गये हैं

अनुलङ्क-I

क्रम	गोष्ठी संख्या	गोष्ठी की तिथि
1.	115	9 और 10 मई, 2022
2.	116	29 जुलाई, 2022

प्रतिमा तिवारी, सहायक सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./698/2022-23]

PHARMACY COUNCIL OF INDIA
(Constituted under the pharmacy act, 1948)
EXECUTIVE ORDER

New Delhi, the 3rd March, 2023

Ref. No. 17-1/2022-PCI(Notification)/18358-18593.—“As required under section 15 of the Pharmacy Act, 1948, the declarations under section 12 made by resolutions passed at the following meeting of the Central Council are posted on Council’s website for information of all the stakeholders i.e. institutions, Examining Authorities, general public, students etc.”

ANNEXURE-I

<u>S.No.</u>	<u>Meeting No.</u>	<u>Date of meeting</u>
1.	115	9 th & 10 th May, 2022
2.	116	29 th July, 2022

PRATIMA TIWARI, Assistant Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./698/2022-23]